समाहरणालय,मधुबनी (बिहार)

Collectorate, Madhubani

:-06276-222217(Off) E-mail:-dm-madhubani.bih@nic.in
:-06276-222218(Res)/222209(Fax) Web:-http: //madhubani.nic.in

(जिला गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश

मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक– **BSEB(SS)/KEN/08/2022, / दिनांक 03–01–2022 एवं** अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के पत्रांक– **BSEB(SS)/KEN/04/2022, दिनांक 01–01–2022** द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में **इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 दिनांक 01–02–2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 14–02–2022** को समाप्त होगी । इस परीक्षा के अवसर पर मधुबनी जिला में **कुल 64 (चौंसठ) परीक्षा केन्द्र** निर्धारित किये गये हैं। **परीक्षा प्रतिदिन प्रथम पाली में 09:30 बजे पूर्वाहन् से प्रारम्भ होकर 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 01–45 बजे अपराह्न से प्रारम्भ होकर 05–00 बजे अपराह्न तक सम्पन्न होगी (परीक्षा कार्यक्रम की छायाप्रति संलग्न) ।**

इस परीक्षा के अवसर पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक नामित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी जिला परीक्षा नियंत्रक के रूप में नामित किये गये हैं, जो मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक (जिला पदाधिकारी) की सहमति से एवं उनके निर्देशन में परीक्षा संचालन संबंधित कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा जनहित याचिका संख्या–10256 / 95 में पारित आदेश एवं इस परिप्रेक्ष्य में सरकार से समय–समय पर प्राप्त निदेश के आलोक में परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह परमावश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संचालित हो।

1– परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने या कदाचार को प्रोत्साहित करने का कृत्य शिक्षा की गरिमा धूमिल होने के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना जैसी गंभीर अपराध है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ–साथ परीक्षा कार्य में संलग्न प्राध्यापक / अध्यापक / प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की भी हो जाती है।

2– स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र बल के साथ पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दण्डाधिकारी तथा गश्ती दंडाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। **तत्संबंधी विवरणी परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर द्रष्टव्य है ।**

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जानी है तथा उनमें से किसी एक को वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी के रूप में नामित किया जाना है। इन स्टैटिक दण्डाधिकारियों के बीच प्रतिदिन परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

इस संबंध में सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि–व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ की गई है, जो परिशिष्ट–"क" पर द्रष्टव्य है। इन प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी के क्रमांक–1 पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं अन्य प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी क्रमांक–1 में प्रतिनियुक्त वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे । क्रमांक–1 पर प्रतिनियुक्त वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ स्टैटिक दण्डाधिकारियों के बीच परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन करेंगे ।

परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षण कार्य में नहीं लगाया जाय। जिस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केन्द्र से सम्बद्ध हों, उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को वहाँ प्रतिनियुक्त नहीं किया जाय। यह आश्वस्त हों ले कि वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है। इस निदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी एवं सभी केन्द्राधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे ।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी–कभी गश्ती दल के दण्डाधिकारी प्रश्न–पत्र पहुँचाने के बाद अपने साथ सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं निरीक्षण नहीं करते हैं, जो सर्वथा अवांछनीय है। प्रतिनियुक्त गश्ती दल के दण्डाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्न–पत्र पहुँचाने के उपरान्त निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य के अनुरूप परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे तथा उसकी प्रविष्टि लॉग बुक में करेंगे।

3– प्रत्येक परीक्षा दिवस को प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रश्न–पत्र अलग–अलग समय में केन्द्राधीक्षक/उनके प्राधिकृत दूत गश्ती दंडाधिकारी (सशस्त्र पुलिस बल के साथ) की उपस्थिति में संयुक्त रूप से सम्बन्धित बैंक से प्राप्त करेंगे तथा प्राप्ति पंजी पर बैंक के प्रबंधक, केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत एवं गश्ती दल दंडाधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। प्रथम पाली के प्रश्न–पत्र पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्व तथा द्वितीय पाली के प्रश्न–पत्र पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्बन्धित बैंक से निकासी की जायेगी। दोनों पालियों की परीक्षा के लिये अलग–अलग सीलड प्रश्न–पत्र के पैकेट/बॉक्स को बैंक से अलग–अलग समयों में निकासी करते समय एवं परीक्षा केन्द्र पर खोलते समय दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विडियोग्राफी भी करायी जाय, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। तत्पश्चात गश्ती दंडाधिकारी वाहन से प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचायेंगे और सुरक्षित रखवायेंगे तथा वाहन में केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत को भी अपने साथ लेते जायेंगे। संबंधित बैंक शाखा एवं सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों की विवरणी परिशिष्ट 'ख'' पर है। गश्ती दल दंडाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश है कि दोनों पालियों की परीक्षा के लिये अलग–अलग सीलड प्रश्न–पत्र के पैकेट/बॉक्स को बैंक से अलग–अलग समयों में निकासी करते समय अपने स्तर से विडियोग्राफी करवाना सुनिश्चित करते हुये विडियोग्राफी से सम्बन्धित सी0डी0 रिकॉर्ड के लिये अपने पास सुरक्षित रखेंगे। सभी सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को निदेश है कि दोनों पालियों की परीक्षा के लिये अलग–अलग सीलड प्रश्न–पत्र के पैकेट/बॉक्स को खोलते समय दण्डाधिकारी की उपस्थिति में विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।

4– सभी प्रतिनियुक्त गश्ती दण्डाधिकारी/केन्द्राधीक्षक निर्धारित बैंक शाखाओं में कई बक्सों में रखे प्रश्न पत्र की निकासी के समय इसका पूरा ध्यान देंगे कि आवश्यकतानुरूप प्रश्न पत्र की संख्या पूर्ण है और कम नहीं है। परीक्षा संचालन के क्रम में कतिपय परीक्षा केन्द्रों से सूचना प्राप्त होती है कि किसी विषय के प्रश्न पत्र कम हैं, जबकि उस विषय के शेष संख्या के प्रश्न पत्र दूसरे बॉक्स में पाये जाते हैं, जिस बॉक्स की संबंधित बैंक शाखा से या तो निकासी नहीं की जाती है अथवा वे द्वितीय पाली के पैकेट में पाये जाते हैं। इसलिए इस संबंध में विशेष सावधानी बरतते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जितनी संख्या में परीक्षार्थी हैं, उतने प्रश्न पत्र बैंक से निकासी के समय प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। प्रश्न पत्र के पैकेट्स नियमानुसार, खोलने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें, कि वे प्रस्तावित विषय के ही प्रश्न पत्र हैं एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप हैं। इस पर व्यक्तिगत एवं विशेष सतर्कता बरती जाय। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

5– प्रश्न–पत्र, परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी के समक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 (दस) मिनट पूर्व ही खोलकर, कक्षवार पैकेट तैयार कर परीक्षा कक्षों में केन्द्राधीक्षक द्वारा भेजे जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई प्रश्न–पत्र कक्ष से बाहर नहीं जाने पाये, इसे परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे । परीक्षा केन्द्र पर

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं सभी केन्द्राधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रत्येक दिन/प्रत्येक पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरण हो जाने के तुरंत बाद सभी परीक्षा कक्षों में प्रतिनियुक्त वीक्षकों से अवशेष प्रश्न–पत्र तत्क्षण संग्रहित कर एवं गणना कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति में सील कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि किसी भी स्थिति में बचे हुए प्रश्न–पत्रों का दुरूपयोग कदापि नहीं होने पाये। साथ ही केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होते ही उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या अविलम्ब जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को दूरभाष पर उपलब्ध करायेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिये केन्द्राधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे ।

6– परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल के साथ **परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व निश्चित रूप से परीक्षा केन्द्र पर पहुँच जायेंगे ।** प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वह केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश–पत्र को देखकर अन्दर जाने देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करे। परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाईल फोन अथवा इलेक्टॉनिक गैजेट ले कर नहीं जायेंगे। इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

7– परीक्षा प्रारंभ होने के बाद केन्द्राधीक्षक समय–समय पर परीक्षार्थियों की जांच करवाते रहेंगे और स्वयं भी जांच करेंगे, ताकि किसी प्रकार के कदाचार की कोई गुंजाईश न रहने पावे। इस कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे। एक कमरा में प्रतिनियुक्त वीक्षक दूसरे कमरे में नहीं जायेंगे तथा बराबर कमरा के अन्दर भ्रमणशील रहेंगे।

निरीक्षण के क्रम में यदि किसी परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी सामूहिक कदाचार करते हुये पाये जायेंगे, तो उस कमरे के वीक्षक ही मुख्य रूप से कदाचार कराने के जिम्मेवार होंगे और उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम–1981 के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही केन्द्राधीक्षक को भी जवाबदेह माना जायेगा।

8– यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी जो इस परीक्षा के जिला परीक्षा नियंत्रक भी हैं, अपने स्तर से जॉचोपरान्त दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से लापरवाही/उदासीनता/अनुशासनहीनता बरती गयी, जिसके कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया । इस सम्बन्ध में वह विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी–सह–मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक, मधुबनी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

साथ हीं रद्द परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर पत्रकों को अलग–अलग पैकेट में रखकर उस पर **"रद्द परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएँ"/"रद्द परीक्षा के ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर पत्रक"** अंकित करते हुए जिला स्तर पर बनाये गए **बज्रगृह में बिल्कुल अलग रखे जायेंगे ।** चूँकि इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए इनकी बारकोडिंग भी नहीं की जाएगी । इसी वजह से इन्हें बज्रगृह से बारकोडिंग भवन में नहीं ले जाया जायेगा ।

9– पूर्व में ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं कि परीक्षा केन्द्र पर हुये कदाचार के मामले में निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी समय पर सूचना नहीं भेजते हैं। अतः प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/केन्द्राधीक्षक ऐसे मामलों में अपना **दैनिक प्रतिवेदन** जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिशीध्र अवश्य भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस बाबत किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जाएगा ।

10– इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2022 के अवसर **पर जिला के सभी परीक्षा केन्द्रों से प्रतिदिन परीक्षा के उपरान्त प्राप्त होने वाले व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं OMR अधारित उत्तर पत्रक के सील्ड पैकेट्स जिला मुख्यालय में निर्धारित बज्रगृह एस0एन0एस0डी0एन0जी0 वाटसन +2 उ0वि0, मधुबनी के नवनिर्मित बहुउद्देशीय तीन मंजिला खेल भवन में विषयवार, विषयकोडवार (संख्यात्मक) सुरक्षित रखा जाना है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश है कि**

उक्त खेल भवन के निरीक्षणोंपरान्त विषयवार, विषयकोडवार (संख्यात्मक) सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था करायेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं के पैकेट एवं ओ0एम0आर0 आधारित उत्तरपत्रक संकायवार, विषयवार, विषयकोडवार (संख्यात्मक) एवं पालीवार तैयार कर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में सील बंद कर, गश्ती दल दण्डाधिकारी के माध्यम से निर्धारित ब्रजगृह में उसी दिन परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे । व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 आधारित उत्तरपत्रक के पैकेट तैयार करने एवं प्रेषण विवरणी के लिये केन्द्राधीक्षक एवं केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, समिति कार्यालय से प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे। जब तक सील्ड उत्तर पुस्तिकाओं का पैकेट बज्रगृह में जमा नहीं हो जाता है तब तक पुलिस बल गश्ती दल दण्डाधिकारी के साथ अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे।

परीक्षोपरान्त बज्रगृह में जमा की गयी व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं **OMR अधारित उत्तर पत्रकों** की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल की भी व्यवस्था पुलिस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा की जाएगी।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों से प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं का सील बंद पैकेट आदि गश्ती दण्डाधिकारी के माध्यम से एवं पुलिस अभिरक्षा में उसी दिन जिला मुख्यालय स्थित बज्रगृह में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी जिला स्तर पर निर्धारित बज्रगृह में अपने स्तर से दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए उन्हें निदेश देंगे कि सभी गश्ती दण्डाधिकारी से प्राप्त व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं OMR उत्तर पत्रक के सील्ड पैकेटस संकायवार, विषयवार, विषयकोडवार (संख्यात्मक) एवं पालीवार बज्रगृह में सुरक्षित रूप से रखवाना सुनिश्चित करेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन उसी दिन जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि परीक्षोपरान्त उक्त बज्रगृह में जमा की गयी व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर पत्रक की सुरक्षा के लिये प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

11— प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए **बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 (छायाप्रति संलग्न)** की प्रति समय—समय पर उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है । वे परीक्षा के दौरान इसमें दिये गये प्रावधानों को दृढ़ता से लागू करेंगे तथा जो व्यक्ति कदाचार में लिप्त पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध उक्त नियमावली के सुसंगसत प्रावधान के अन्तर्गत प्रभावी कार्रवाई करेंगे ।

12— कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा भी लगायी जायेगी, ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहें । इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

सभी केन्द्राधीक्षक को आदेश दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्र में लगाये गये सी0सी0टी0भी0 कैमरे के प्रदर्श को देखने हेतु एक—एक सुयोग्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, जो परीक्षा अवधि में लगातार परीक्षा की गतिविधि के सम्बन्ध में पंजी संधारित करते हुये सूचना एकत्रित कर केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे ।

केन्द्राधीक्षकों को यह भी निदेश दिया जाता है कि एक फ्लैक्स बोर्ड/पोस्टर पर "आप सी0सी0टी0वी0 कैमरा के निगरानी में हैं", परीक्षा केन्द्रों पर प्रदर्शित करेंगे । सभी केन्द्राधीक्षक आश्वस्त हो लेंगे कि परीक्षा केन्द्र पर लगाये गये सी0सी0टी0भी0 कार्यरत है एवं परीक्षा संचालन से सम्बन्धित गतिविधियों का विडियोग्राफी भी हो रहा है।

जिन परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा केन्द्र के पिछले अथवा बाहरी हिस्से में विडियोग्राफी की व्यवस्था करायी जायेगी, उसकी समीक्षा संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा कर ली जायेगी और जिन स्थानों पर इसकी नितांत आवश्यकता हो, के सम्बन्ध में प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13– परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण निरंतर गश्ती दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रश्न–पत्र परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाने के पश्चात् करते रहेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संचालित हो रही है।

14 **जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त होने वाले वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करने हेतु उनकी प्रतिनियुक्ति रेन्डोमाइजेशन के आधार पर किया जाय ।**

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि वीक्षकों की सूची अनुमोदित करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाय, परन्तु प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम दो वीक्षक रहेंगे। सभी वीक्षक प्रत्येक दिन, प्रत्येक पाली की परीक्षा शुरू होने के पूर्व विहित घोषणा–पत्र में यह अंकित करेंगे कि उनके प्रभार के अन्तर्गत 25 (अथवा कम) परीक्षार्थियों की जाँच उनके द्वारा कर ली गई है तथा उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पायी गई है। घोषणा पत्र की मुद्रित प्रतियां समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्राधीक्षक सभी वीक्षकों से प्राप्त घोषणा–पत्र को परीक्षा केन्द्र पर भ्रमण करने वाले नोडल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी आदि के द्वारा मांग करने पर उन्हें भी दिखाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक/कम्पार्टमेंटल परीक्षा, 2021 की भॉति इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा–2022 में भी परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाय ।

15– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों की **भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सुपर जोन एवं जोन में विभक्त कर जोनल दण्डाधिकारी एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जा रही है।** सुपर जोनल एवं जोनल दण्डाधिकारियों के केन्द्रों के भ्रमण के लिए भौगोलिक क्षेत्र तथा दूरी के अनुसार न्यूनतम भ्रमण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उक्त दण्डाधिकारियों द्वारा प्रत्येक दिन की भ्रमण विवरणी लॉग बुक में भरी जायेगी तथा पूरी परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उसे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। इस हेतु लॉग बुक की आपूर्त्ति सम्बन्धित **अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी,** जो अलग से उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी। साथ ही प्रतिनियुक्त जोनल एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारियों को निदेश है कि वे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के भ्रमण के क्रम में परीक्षा केन्द्र पर संधारित आगन्तुक रजिस्टर (Visitor Register) में अपनी अभ्युक्ति एवं हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। तत्संबंधी विवरणी **परिशिष्ट "ग" एवं "घ"** पर द्रष्टव्य है ।

16– परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे । किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षण कार्य में नहीं लगायेंगे । जिस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केन्द्र से सम्बद्ध हों, उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को वहॉ कदापि प्रतिनियुक्त नहीं करेंगे तथा यह आश्वस्त हो लेंगे कि वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप है ।

17– केन्द्राधीक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी (यथा–पानी पिलाने आदि) के मामले में अगल–बगल के महाविद्यालयों/विद्यालयों से ही शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। किसी भी स्थिति में बाहरी मजदूरों अथवा बाहरी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जरिये परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो

सकती है। यदि किसी केन्द्र पर सामूहिक नकल होते पाये जायेगा तो सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक और वीक्षक आदि विशेष रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे ।

18— जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी सभी केन्द्राधीक्षकों को निर्देश देकर यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के बैठने सम्बन्धी सीट प्लान की एक प्रति भवन के मुख्य द्वार पर, एक ब्लैक बोर्ड पर तथा एक प्रति सूचनापट्ट पर लगा दी जाय, ताकि परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान की जानकारी हो सके एवं कदाचार की संभावना नहीं हो । परीक्षा कक्ष/हॉल में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सभी केन्द्राधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के तहत डेस्क—बेंच, परीक्षा कक्ष की दीवारों से बिल्कुल सटाकर नहीं लगा हो, जिससे कि निरीक्षण के दौरान असुविधा हो।

19— सभी केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से सम्बन्धित वैद्य कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जायेंगे । परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (यथा—ब्लू टूथ, पेजर आदि) का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा ।

20— सभी केन्द्राधीक्षक, परीक्षा केन्द्र परिसर/कमरे की सफाई प्रत्येक दिन/पाली में परीक्षा शूरू होने के पूर्व सुनिश्चित करायेंगे, जिससे कि किसी तरह का चिट—पुर्जा आदि परिसर/कमरे में न रहे । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कक्षों के श्यामपट्ट पर परीक्षा के विषयों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा रहे।

21— समिति के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश है कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करने हेतु उनकी प्रतिनियुक्ति Randomization के आधार पर की जाय। वीक्षकों की नियुक्ति आवश्यकता से 10 फीसदी अधिक की संख्या में करते हुये उनका नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय । वीक्षकों के Randomization के क्रम में यह ध्यान रखा जाय कि प्रत्येक अनुमण्डल के पुरूष शिक्षकों तथा महिला शिक्षिकाओं की अलग—अलग सूची का Randomization वीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति हेतु किया जाय, ताकि एक अनुमण्डल के पुरूष शिक्षक तथा महिला शिक्षिकाओं को दूर—दराज के अनुमण्डल में वीक्षण कार्य हेतु नहीं जाना पड़े । **यह आवश्यक है कि छात्राओं के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला वीक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति की जाय । किसी भी स्थिति में छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पर पुरुष वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी । इसके लिए आवश्यक है कि छात्राओं के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु महिला शिक्षिकाओं की सूची का Randomization अलग किया जाय** तथा छात्रों के परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पुरुष शिक्षकों की सूची का Randomization अलग किया जाय। सामान्यतया छात्रों के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पुरूष वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी और अपवादस्वरूप अपेक्षित संख्या में पुरूष शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही विशेष परिस्थिति में न्यूनतम संख्या में महिला शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति वीक्षक के रूप में की जा सकती है ।

22— **प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी (Frisking) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल का उपयोग करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवश्यक्तानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परिक्षार्थियों के चिट पुर्जों आदि की तलाशी (Frisking) महिला पुलिस कर्मी/महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी/कर्मी द्वारा की जायेगी । इस हेतु केन्द्राधीक्षक गेट के बगल में कपड़े से घेरकर अस्थायी छोटा—सा घेरा तैयार करवाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा कक्ष में महिला परिक्षार्थियों की तलाशी के दौरान पुरुष वीक्षक को उस कक्ष से बाहर करते हुए उन्हें खिड़कियों एवं दरवाजों से दूर रहने का निदेश देना केन्द्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाना सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी**

परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें । इस पर कड़ाई से नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है । परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा ।

संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि जिन परीक्षा केन्द्रों पर छात्रायें परीक्षा दे रहीं है (यथा– परिशिष्ट "क" के सदर अनुमण्डल में कमांक–01 से 13 तक, बेनीपट्टी अनुमण्डल में क्रमांक 14 से 19 तक, जयनगर अनुमण्डल में क्रमांक 20 से 25 तक, झंझारपुर अनुमण्डल में क्रमांक 26 से 32 तक एवं फुलपरास अनुमण्डल में क्रमांक 33 से 39 तक के परीक्षा केन्द्रों पर) कम से कम दो महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

23– पूर्व में परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान प्रायः ऐसा पाया गया है कि अनेक परीक्षार्थी अपने बैग या पॉलिथिन थैलों को परीक्षा कक्ष के अन्दर दरवाजे के पास अथवा बरामदे में रख देते हैं, जिसमें पुस्तकें, गाईड, चिट–पुर्जे, मोबाईल फोन आदि रखे हुये पाये गये । Wash Room/Toilet में भी गाईड, पुस्तकें एवं चिट–पूर्जे पाये गये हैं। परीक्षा कक्ष में रखी किसी आलमारी के पीछे, दीवार में बनी आलमारी के ऊपरी खाने में, रैकों पर, बेंच/डेस्क/कुर्सी के पायों के नीचे तथा उनके दरारों में भी चिट–पूर्जे आदि पाये गये हैं ।

अतएव सभी केन्द्राधीक्षक/स्टैटिक दण्डाधिकारी को निदेश है कि इस संदर्भ में पूरी सजगता एवं सक्रियता बरतते हुये पूरे परीक्षा केन्द्र के भवन तथा परिसर की सघन जॉच (सर्च) किया जाय, ताकि किसी भी प्रकार से कदाचार की कोई भी सामग्री परीक्षार्थियों के हाथ नहीं लग सके । साथ ही यह भी ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे कि वह कोई भी कक्ष, जिसका उपयोग परीक्षा के दौरान नहीं हो रहा है, ताले से बन्द रहे । इस आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

24– परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त सूचनानुसार गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा, 2021 में चार (04) आदर्श परीक्षा केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे आदर्श परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थी एवं परीक्षा संचालन में संलग्न केन्द्राधीक्षक, वीक्षक, पदाधिकारी, पुलिस बल एवं अन्य सभी कर्मी महिला होंगे । साथ ही यह भी निदेश संसूचित है कि इस परीक्षा केन्द्र पर समारोह कार्यक्रम की तरह सजावट आदि की व्यवस्था भी किया जायेगा, जिससे आदर्श परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी उत्साहित माहौल में परीक्षा दे सके ।

उक्त निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक 4009/दिनांक 15.नवम्बर 2021 द्वारा जिलान्तर्गत चार आदर्श परीक्षा केन्द्रों यथा– 01–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल थाना चौक, मधुबनी 02– परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी, 03– +2 उच्च विद्यालय, जयनगर एवं 04–केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर का निर्धारण कर संसूचित किया गया है । (परिशिष्ट "क" के क्रमांक –10, 15, 20 एवं 27 पर द्रष्टव्य।)

उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में उपरोक्त चारों आदर्श परीक्षा केन्द्रों पर यथा निदेशित व्यवस्था करते हुये महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त चारों परीक्षा केन्द्रों पर महिला स्टैटिक दण्डाधिकारी/महिला पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी विवरणी परिशिष्ट "क" पर द्रष्टव्य है । सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

25– अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य चयनित संस्थान में केन्द्राधीक्षक नियुक्त किये जाने की स्थिति में केन्द्राधीक्षक, यदि आवश्यकता समझें तो परीक्षा संबंधी व्यवस्था में अपने सहयोग हेतु अधिकतम चार तृतीय वर्गीय कर्मियों (जिसमें शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं) तथा दो चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति (जिनमें उनके अपने विद्यालय के तृतीय/चतुर्थवर्गीय कर्मियों के साथ शिक्षक भी हो सकते हैं) अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के माध्यम से करा सकते

हैं, किन्तु उन्हें वीक्षण के कार्य में नहीं लगाया जायेगा तथा उनके स्वच्छ आचरण की जवाबदेही केन्द्राधीक्षक की होगी।

26— **सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षकों को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश पत्र गुम हो गया हो, या भूल से घर पर छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर और रौलशीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे।**

27— ध्यातव्य हो कि इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वर्ष–2021 से लागू की गई विषय योजना के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों में 'अतिरिक्त विषय समूह' की सूची में भाषा विषय का विषय कोड (संख्यात्मक) वर्ष 2022 परीक्षा में अलग निर्धारित किए गए हैं। आपकी सुविधा हेतु इस नवनिर्धारित संख्यात्मक विषय कोड की सूची, इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

28— **सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा–144 परीक्षा अवधि तक लागू की जाएगी । सभी अनुमंडल दंडाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।**

29— स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी अपने परीक्षा केन्द्र के बारे में प्रतिदिन 06.00 बजे संध्या में दैनिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में सभी तथ्य अंकित करते हुए विशेषदूत/फैक्स/वितंतु संवाद द्वारा जिला दंडाधिकारी को भेजेंगे ।

30— प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी इस बात पर विशेष निगाह रखेंगे कि पुलिस बल प्रतिनियुक्त स्थान से अन्यत्र नहीं जाने पाये तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक रहे । सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल/पुलिस पदाधिकारी **08–00 बजे प्रातः** प्रतिनियुक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मधुबनी प्रत्येक केन्द्र की जांच कर **08–30 बजे पूर्वाहन** में अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे कि सभी पुलिस बल/पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केन्द्र पर पहुँच गये हैं ।

31— इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक जांच के लिए उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है । अनुमंडल क्षेत्र के उड़नदस्ता दल संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के मार्गदर्शन में तथा जिला मुख्यालय के उड़नदस्ता दल जिला दंडाधिकारी के मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे। इसके साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी परीक्षा अवधि में अपने भ्रमण में जाने से पूर्व जिला दंडाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर लेंगे, ताकि उस क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का वे भी आकस्मिक जांच कर सकें । उसी प्रकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी भी प्रतिदिन परीक्षा केन्द्रों की जॉच करेंगे। सभी निरीक्षी पदाधिकारी परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर प्रतिदिन संध्या में परीक्षा केन्द्रों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को समर्पित करेंगे। तत्संबंधी विवरणी **परिशिष्ट "च"** पर अवस्थित है।

32— परीक्षा के दौरान जिला मुख्यालय एवं सदर अनुमण्डल के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सूक्ष्म निगाह रखने, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में **जिला नियंत्रण कक्ष** की स्थापना की जा रही है, जिसका आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी अपने स्तर से निकालेंगे। **यह नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी में स्थापित की जाती है, जिसका दूरभाष संख्या 06276–222201 है ।** किसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना नियंत्रण कक्ष में दी जा सकती है तथा आवश्यक सहयोग/मार्ग दर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय के दूरभाष संख्या **06276–222217** एवं आवासीय गोपनीय कार्यालय के दूरभाष संख्या **06276–222218** पर भी सम्पर्क किया जा सकता है । इसी प्रकार सदर अनुमण्डल को छोड़कर शेष अनुमंडलों में भी अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा **अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष** की स्थापना की जाएगी। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मियों को यह निदेश देंगे कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों से दोनों पालियों में कदाचार के कारण निष्कासित परीक्षार्थियों का विवरण परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के ई–मेल आई0डी0 coe.interbseb@gmail.com पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर समिति के सचिव का कार्यालय दूरभाष संख्या 0612–2226916, फैक्स संख्या 0612–2222575 तथा परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के मोबाईल संख्या–9431025181 पर सम्पर्क कर कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है । समिति के सचिव के ई–मेल secybseb@ gmail. com तथा परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के ई–मेल coe.interbseb@gmail.com पर कोई भी आवश्यक सूचना प्रेषित की जा सकती है ।

सूचनाओं एवं संवाद के त्वरित संचरण एवं आदान–प्रदान हेतु "Bihar Board Exam 2022" नामक "WhatsApp Group" बनाया गया है, जिसमें सभी जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ–साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वरीय पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। त्वरित संवाद प्रेषण/आदान–प्रदान के लिए इस "WhatsApp Group" का उपयोग किया जा सकता है।

33– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में न्यायपालिका की ओर से जिला स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति यदि परीक्षा केन्द्र पर पहुँचेंगे तो उनको यथोचित सम्मान/सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/केन्द्राधीक्षक की होगी ।

34– सभी केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक आदेशपाल एवं प्रहरी तैनात रखेंगे ताकि उनके केन्द्र पर उड़नदस्ता एवं निरीक्षी पदाधिकारी के जाने पर मुख्य द्वार को तुरंत खोला जा सके, ताकि केन्द्र का तुरंत निरीक्षण किया जा सके । इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही/ शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा ।

35– **सभी केन्द्राधीक्षकों को यह भी निदेश दिया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण हेतु आनेवाले निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए एक निरीक्षण पंजी संधारित करेंगे, जिसमें निरीक्षी पदाधिकारियों के नाम/पदनाम/ निरीक्षण की तिथि, आगमन एवं प्रस्थान के साथ–साथ उनके मंतव्य व हस्ताक्षर का कॉलम बना रहेगा । केन्द्राधीक्षक उक्त पंजी पर निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।**

36– चूंकि पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी मात्र अनुमडल स्तर पर ही पदस्थापित हैं तथा जिले में कार्यपालक दंडाधिकारी की कमी भी है, इसलिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति संभव नहीं है। सभी परीक्षा केन्द्रों को अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से निगरानी कराया जा रहा है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने–अपने अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी परीक्षा केन्द्रों पर प्रभावकारी ढंग से भ्रमण करते रहेंगे एवं सभी परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेवारी उनलोगों की होगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रतिनियुक्त सभी स्टैटिक दंडाधिकारी/गश्ती दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्ति स्थान पर जाने से पूर्व **रेड बुकलेट** उपलब्ध करा देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन/खैरियत प्रतिवेदन **(पूर्व प्रेषित प्रपत्र में) प्रतिदिन संध्या 6.00 बजे** तक जिला दण्डाधिकारी/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी को विशेषदूत/ फैक्स/ वितन्तु सम्वाद द्वारा निश्चित रूप से भेजा करेंगे। अगर किसी कारणवश उक्त साधनों में विलम्ब की संभावना हो तो दूरभाष से भेजेंगे ।

37– **आकस्मिकता की स्थिति में यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर दण्डाधिकारी को बदलना आवश्यक हो तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन हेतु जिला दंडाधिकारी को भेजेंगे। इसके अतिरिक्त वैसे परीक्षा केन्द्र जहॉ छात्राओं की संख्या अधिक है, वहॉ एवं निर्धारित आदर्श परीक्षा केन्द्र पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी अपने स्तर से**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ।

उक्त परीक्षा के अवसर पर सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालित कराने एवं विधि–व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त रूप से पूर्ण जिम्मेवार होंगे ।

38– सभी संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/पुलिस निरीक्षक को यह निदेश दिया जाता है कि वे परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही छात्रों/अभिभावकों/असमाजिक तत्वों की गतिविधि के बारे में आसूचना संग्रह करते रहेंगे तथा इस कार्य में स्थानीय विशेष शाखा से भी सम्पर्क बनाए रखेंगे। परीक्षा केन्द्र के इर्द–गिर्द अनावश्यक भीड़ को सूझ–बूझ से हटाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित थानाध्यक्ष की होगी । थानाध्यक्ष परीक्षा केन्द्रों की गतिविधि पर सूक्ष्म निगाह रखेंगे तथा किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त शहर अंतर्गत फोटो स्टेट केन्द्र/दुकान की, विशेष रूप से परीक्षा केन्द्रों के समीप के दूकानों पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखी जाय ।

39– **प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले एवं समाप्त होने के पश्चात् विशेषकर शहरी क्षेत्र में छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण शहर के मुख्य मार्ग पर आवागमन अस्त–व्यस्त हो जाता है, अतएव संबंधित थानाध्यक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले एवं समाप्त होने के उपरान्त मुख्य पथ पर आवागमन को सुचारू रूप से चालू रखने हेतु मुख्य–मुख्य चौराहों पर ट्राफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जो मुख्य मार्ग में छात्रों की भीड़ के मद्देनजर भारी वाहनों को दूसरे रास्ते से जाने हेतु टर्न कर देंगे । इस आदेश का अनुपालन सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित करायेंगे ताकि छात्र– छात्राओं को आने–जाने में क़ोई कठिनाई न हो ।**

40– सभी केन्द्राधीक्षक अपने केन्द्र के प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को **परीक्षा कार्यक्रम** की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध करा देंगे, ताकि तदनुसार वे लोग कार्य कर सके ।

41– **परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र मधुबनी सभी परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र बल तथा पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति पूर्ण राईट गियर के साथ सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी नियमित रूप से उपस्थित रहे, इस कार्य हेतु वे समय–समय पर स्वयं जांच भी करते रहेंगे । संबंधित थानाध्यक्ष भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

42– इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 के लिए कदाचार पर रोकथाम के मद्देनजर परीक्षा में प्रयोग की जाने वाली उत्तरपुस्तिकाएँ Horizontal रूप में रहेंगी। सैद्धांतिक परीक्षा की **डाटायुक्त** उत्तरपुस्तिकाओं के आवरण पृष्ट के तीनों भागों में परीक्षार्थी से सम्बन्धित अनेक विवरण पूर्व से ही मुद्रित होगा । परीक्षार्थियों द्वारा बायें भाग में मात्र क्रमांक–1) से क्रमांक–4) का विवरण (क्रमशः विषय, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र सेट कोड तथा लेखक की उपलब्धता) ही अंकित किया जाना है । उसी प्रकार परीक्षार्थी दाहिने भाग में मात्र क्रमांक–9) से क्रमांक–13) का विवरण (क्रमशः प्रश्न पत्र सेट कोड, प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षार्थी का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम तथा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर) ही अंकित करेंगे । उत्तरपुस्तिका के बायें एवं दायें भागों के शेष मुद्रित विवरणों में किसी भी प्रकार का कोई छेड़–छाड़ नहीं किया जायेगा ।

जहाँ किसी परीक्षार्थी के विवरणयुक्त (डाटायुक्त) उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं हो, क्षतिग्रस्त हालत में उपलब्ध हो अथवा मुद्रण दोषयुक्त हो, परीक्षार्थी के प्रश्नोत्तर हेतु डाटारहित उत्तरपुस्तिका दी जाएगी, जो परीक्षोपरान्त डाटायुक्त उत्तरपुस्तिकाओं के साथ ही पैंकिंग करके जिला बज्रगृह में जमा करायी जायेगी।

इसी प्रकार इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा–2022 में ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर–पत्रक एक ही भाग में है। विषयनिष्ठ प्रश्नों की उत्तरपुस्तिकाओं की भाँति ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर–पत्रक परीक्षार्थियों के विवरण मुद्रित अर्थात **डाटायुक्त** तथा बिना विवरण के अर्थात **डाटारहित**, दो प्रकार के हैं ।

43– गश्ती दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परीक्षा के दौरान अपने भ्रमण के क्रम में यह भी देखेंगे कि परीक्षा केन्द्र के आस–पास किसी प्रकार का अनावश्यक भीड़ न होने पाये । यदि वहाँ ऐसा दृष्टिगोचर हो तो तुरंत उसे अपने विवेक से हटाने की कार्रवाई करेंगे । इसके अतिरिक्त खासकर असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर विशेष निगरानी रखेंगे ।

44– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त परीक्षा के अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्राप्त निर्देश/अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे एवं सभी परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर अधोहस्ताक्षरी को संध्या में **खैरियत प्रतिवेदन** समर्पित करेंगे । **उनका यह भी दायित्व होगा कि सम्बन्धित बैंक से सभी परीक्षा केन्द्रों के लिये ससमय प्रश्न पत्र निकल जाय एवं परीक्षा केन्द्रों पर पहुँच जाय, ताकि समय पर परीक्षा प्रारम्भ हो सके। साथ ही परीक्षा समाप्ति के उपरान्त व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं एवं ओ0एम0आर0 आधारित उत्तर–पत्रक भी निर्धारित समय तक जिला मुख्यालय स्थित बज्रगृह में रखवाना सुनिश्चित करेंगे ।**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी सभी केन्द्राधीक्षकों की एक बैठक बुलाकर केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा संचालन के सम्बन्ध में निर्गत निदेश पत्र में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अपने स्तर से भी निदेशित करेंगे । **साथ ही प्रत्येक परीक्षा दिवस के दोनों पालियों की परीक्षा में कुल सम्मिलित, अनुपस्थित एवं कदाचार के आरोप में निष्कासित परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक से प्राप्त खैरियत प्रतिवेदन समेकित कर समिति (उच्च माध्यमिक) कार्यालय को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे।**

इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वय की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 11:00 बजे नगर भवन मधुबनी में जिला शिक्षा पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी /स्टैटिक मजिस्ट्रेट/गश्ती दल दण्डाधिकारी/जोनल –सुपर जोनल दण्डाधिकारी/उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा केन्द्राधीक्षकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें कदाचारमुक्त परीक्षा के संचालन हेतु समीक्षा की जाएगी।

45– परीक्षा केन्द्र के बाहर की विधि–व्यवस्था के लिये प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल तथा भीतर की व्यवस्था के लिये सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक की जिम्मेवारी होगी । नकल करनेवाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ–साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाय और दोषियों को दण्डित किया जाय ।

सभी केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों के किसी भी प्रकार से कदाचार में लिप्त पाये जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्रावधान के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी । साथ ही सभी केन्द्राधीक्षक इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को वीक्षकों के माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत करा देंगे ।

46– गत वर्ष की भाँति इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा–2022 में सम्मिलित होने वाले सभी परिक्षार्थियों के लिये जूता–मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा । तदनुसार परीक्षार्थी जूता–मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। सभी स्टैटिक दण्डाधिकारी/प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/केन्द्राधीक्षक इसे सुनिश्चित करायेंगे।

47– बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत दोषी अभियुक्तों से जुर्माना के रूप में प्राप्त राशि कोषागार में ''0070 Other Administrative Service, 01 Administration of Justice, 102 fines and forefeitures'' शीर्ष में अविलम्ब जमा करेंगे, तदनुसार इसकी सूचना समिति को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

48. **भारत सरकार/बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी कोविड–19 से संबंधित दिशा निदेशों का अनुपालन परीक्षार्थियों सहित परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारियों, शिक्षकेत्तर/गैर–शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना अनिवार्य होगा। कोविड–19 महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु निदेशित किया जाता है, कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी, पदाधिकारी एवं कर्मी मास्क लगाकर तथा हाथ को सैनेटाईज कर ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दोनो पाली में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी परीक्षा कक्ष को संबंधित सभी केन्द्राधीक्षक अनिवार्य रूप से सैनेटाईज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।**

अन्त में, परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक से अनुरोध है कि वे अपने सूझ–बूझ एवं विवेक से कार्य करते हुए शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करा कर अपनी कर्मठता/प्रशासनिक क्षमता एवं निपुणता का परिचय देंगे।

सभी संबंधित को सूचित करें ।

20/1/22 पुलिस अधीक्षक, मधुबनी।	20/1/22 जिला दंडाधिकारी, मधुबनी ।

ज्ञापांक Xii–8–(C)–2022.........149.........जि0गो0,मधुबनी, दिनांक 20 जनवरी, 2022 ई0 ।

प्रतिलिपि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/केन्द्राधीक्षक सभी संबंधित थानाध्यक्ष/ पुलिस निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश की अतिरिक्त प्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि अपने स्तर से सभी संबंधित को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को संयुक्त आदेश की अतिरिक्त प्रति संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी संबंधित केन्द्राधीक्षकों को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि श्री अवधेश राम, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी–सह–चीफ सेक्रेसी ऑफिसर /श्री सुरेन्द्र राय, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फुलपरास–सह–उप चीफ सेक्रेसी ऑफिसर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सभी संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **निदेश है, कि दिनांक 27.01.2022 को आयोजित बैठक के लिए नगर भवन में ससमय कुर्सी, टेबुल माईक आदि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे**

प्रतिलिपि वरीय कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/वरीय कोषागार पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिला समादेष्टा,बिहार गृह रक्षावाहिनी,मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर ससमय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करते हुये निर्धारित **चार आदर्श परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।**

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/पुलिस उप महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0), बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना एवं सचिव, बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

20/1/22 पुलिस अधीक्षक, मधुबनी ।	20/1/22 जिला दंडाधिकारी, मधुबनी ।

परिशिष्ट–''क''

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 के अवसर पर परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं पुलिस बलों की संख्या संबंधी विवरणी।

क्रमांक	CENTER CODE	परीक्षा केन्द्रों का नाम जहाँ प्रतिनियुक्त की जाती है ।	बल की क्षमता		दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	परीक्षार्थी की संख्या
			सशस्त्र	लाठी		
1	2	3	4	5	6	7
1	5201	जे0एम0डी0पी0एल0 महिला कॉलेज, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री विश्वनाथ प्रसाद, प्रखण्ड कृ0 पदाधिकारी, रहिका–9905876190	525
					2–श्री नागेन्द्र प्रसाद, प्र0पं0राज पदाधिकारी, राजनगर–9973254808	
					3–स0अ0नि0 उमेश चौधरी ए0सी0/एस0टी0 थाना 8540060155	
2	5202	जे0एन0 कॉलेज, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री चंचल कुमार, प्र0क0पदाधिकारी, रहिका–8541097012	567
					2–श्री उत्पल कुमार झा, प्रखण्ड कल्याण पदा0, राजनगर–8076676286	
					3– पु0अ0नि0 रानी कुमारी (नगर थाना) 8538984582	
3	5203	शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी	1–4 महिला	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, उद्यान, जिला उद्यान कार्यालय, मधुबनी–9431818946.	**520**
					2–सुश्री स्वाती कुमारी, मत्स्य प्र0पदा0, मत्स्य कार्यालय, मधुबनी– 9708543897	
					3–पु0अ0नि0 लक्ष्मी कुमारी (नगर थना) 9199741418	
4	5204	एस0एन0एस0डी0एन0जी0 वाट्सन उच्च विद्यालय, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री सुबोध कुमार सिंह, प्र0सह0पदा0, रहिका–9935772755	**693**
					2–श्री रविकान्त भारती, मत्स्य प्र0 पदाधिकारी, मत्स्य कार्यालय, मधुबनी– 9534450819	
					3–पु0अ0नि0 शत्रुधन कुमार (नगर थाना) 8877814500	
5	5205	कैम्पस पब्लिक स्कूल, लहेरियागंज।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री प्रवीण कुमार पासवान, तकनीकी सहायक प्रखण्ड रहिका– 9835101959	**284**
					2–स0अ0नि0 देवेन्द्र कु0 पासवान (सकरी थाना) 8521832572	

6	5206	जी0एम0एस0एस0 +2 स्कूल, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री प्रमोद सहनी, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण कार्यालय, मधुबनी– 8544588436	629
					2–श्री महादेव कुमार भारती, तकनीकी सहायक, प्रखण्डल रहिका– 8809883563.	
					3–पु0अ0नि0 सपन कुमार (सकरी थाना) 9534493674	
7	5207	क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री विजेन्द्र कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बाबूबरही। 9973164005	**334**
					2–पु0अ0नि0 राहुल कु0–1 (रहिका थाना) 8298231816	
8	5208	मैक्सवेल पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री शम्भू कुमार झा, तकनीकी सहायक प्रखण्ड बाबूबरही– 8460317795.	**498**
					3–पु0अ0नि0 राम कुमार (खजौली थाना) 8271550055	
9	5209	एम0टी0टी0, कॉलेज, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री अजय कुमार, तकनीकी सहायक प्रखण्ड– बाबूबरही– 6367032715.	**498**
					2–स0अ0नि0 अशोक कुमार (राजनगर थाना) 8935966106	
10	**5210**	**सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल थाना चौक, मधुबनी। (आदर्श परीक्षा केन्द्र)**	**1–4**	**5 चौकीदार / दफादार**	**1–श्रीमती रीता रानी, बाल विकास परि0 पदाधिकारी, खजौली– 8431005426.**	**392**
					2–पु0अ0नि0 सरोज बाला सिन्हा (महिला थाना) 9474024374	
11	5211	डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री नीरज पासवान, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, बाबूबरही–7970660832.	777
					2–श्री आलोक कुमार लाभ, मनरेगा PTA प्रखण्ड कार्यालय, रहिका– 9572988214.	
					3–पु0अ0नि0 रबिन्द्र कुमार (बाबूबरही थाना) 9801390270	
12	5212	सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री आलोक कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बाबूबरही– 9905042698.	476
					2–पु0अ0नि0 राहुल कुमार–2 (कलुआही थाना) 9871759289	
13	5213	क्रिएटिभ पब्लिक स्कूल बाबू साहब चौक, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री रंजन कुमार, मत्स्य प्र0 पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, मधुबनी–7545995496.	277
					2–स0अ0नि0 शिवशंकर पासवान (लदनियॉ थाना) 7541992026	

14	5214	श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री विजय नारायण गुप्ता, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बेनीपट्टी–9546391262. 2–श्री रजनीश कुमार, ग्रा0आ0 पर्यवेक्षक, बेनीपट्टी–8340328194. 3–पु0अ0नि0 सुरज कुमार (बेनीपट्टी थाना) 8789961653	920
15	**5215**	**परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी। (आदर्श परीक्षा केन्द्र)**	**1–4**	**5 चौकीदार / दफादार**	**1–श्रीमती गीता कुमारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बेनीपट्टी– 8544411588.** **2–श्रीमती पुष्पा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरलाखी– 9431005623.** **3–पु0अ0नि0 प्रिति भारती (बेनीपट्टी थाना)9798386313**	**511**
16	5216	डॉ0 एन0 सी0 कॉलेज, बेनीपट्टी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री संजीत कुमार गुप्ता, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बेनीपट्टी– 8360598270. 2–पु0अ0नि0 बलवन्त कुमार (बेनीपट्टी थाना) 9798002995	311
17	5217	मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री मिथिलेश कुमार, प्रखण्ड सह0 प्रसार पदाधिकारी, बेनीपट्टी–7542942977. 2– पु0अ0नि0 अभिनव सिंह भारती (अरेर थाना)8434714408	**500**
18	5218	ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल बेनीपट्टी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री गौतम आनन्द, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बेनीपट्टी– 7256015075.. 2–श्री रवि कुमार, ग्रा0आ0 पर्यवेक्षक, बेनीपट्टी– 9110059209 / 8521373432 3–पु0अ0नि0 राहुल देव (बिस्फी थाना)9386605624	712
19	5219	एस0 सी0 महिला कॉलेज, बेनीपट्टी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री देव नारायण महतो, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, बेनीपट्टी– 9771146763. 2–पु0अ0नि0 अभिषेक आनन्द (सहारघाट थाना) 9122395363	386
20	**5220**	**+2 उच्च विद्यालय, जयनगर। (आदर्श परीक्षा केन्द्र)**	**1–4**	**5 चौकीदार / दफादार**	**1–श्रीमती रंजना कुमारी, बाल विकास परि0 पदाधिकारी, जयनगर– 9431005424.** **2–श्रीमती प्रीती कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखण्ड–जयनगर– 9570624222.** **3–पु0अ0नि0 अनुपम कुमारी (जयनगर थाना) 9999223478**	**793**

21	5221	+2 जे0 आर0 जी0 उच्च विद्यालय, जयनगर।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री शिवदर्शन पासवान, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, जयनगर–7549334217. 2–पु0अ0नि0 रौशन कुमार 2 (जयनगर थाना) 6203131266	359
22	5222	मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी, जयनगर।	1–4 महिला	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री प्रशांत कुमार, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, जयनगर– 9279214217. 2– स0अ0नि0 मिथिलेश कुमार सिंह (देवधा थाना)9142374874	364
23	5223	सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जयनगर।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री अतुल कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, जयनगर–9470407769. 2–श्री प्रशांत कुमार, तकनीकी सहायक, प्रखण्ड–जयनगर–7484815094. 3– पु0अ0नि0 सचिन कुमार (लदनियाँ थाना)7352646261	538
24	5224	माउन्ट कार्मेल इंग्लिश उच्च विद्यालय, पिठवाटोल, जयनगर।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री राघवेन्द्र नारायण, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखण्ड–जयनगर– 7258833725. 2–पु0अ0नि0 जयप्रकाश यादव (लदनियाँ थाना)8651961150	456
25	5225	डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल जयनगर।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री संतोष कुमार चौरसीया, प्र0 पं0 राज पदाधिकारी, जयनगर– 9304450863 2–पु0अ0नि0 पंकज कु0 चौधरी (बासोपट्टी थाना)8298411201	339
26	5226	एल0 एन0 जे0 कॉलेज, झंझारपुर।	1–4	5 चौकीदार/ दफादार	1–श्री मिथिलेश कुमार, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमडल–1, झंझारपुर–8210394074. 2–श्री राजीव कुमार प्रभाकर, क0 अभि0 बाढ़ नियंत्रण प्रमण्ड–1, झंझारपुर–9304302144. 3–पु0अ0नि0 अरविन्द कुमार–5 (झंझारपुर थाना)8877638864	809
27	**5227**	**केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर।** **(आदर्श परीक्षा केन्द्र)**	**1–4**	**5 चौकीदार/ दफादार**	**1–सुश्री कुमारी रेखा, बाल वि0 परि0 पदाधिकारी, झंझारपुर– 7369003944.** **2–सुश्री कुमारी स्वेता, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, झंझारपुर– 8340466998.** **3–पु0अ0नि0 रेश्मि कुमारी (झंझारपुर थाना)7903482848**	**757**

28	5228	पी0 एल0 के0 + 2 बालिका उच्च विद्यालय, झंझारपुर	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री राकेश रंजन अस्थाना, कनीय अभि0 बाढ़ नियंत्रण प्र0—1, झंझारपुर—8298511849. 2—पु0अ0नि0 नितीश कुमार—2 (झंझारपुर थाना)8051656789	466
29	5229	एम0पी0टी0 +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर	1—4 महिला	5 चौकीदार / दफादार	1—ई0 अभिनव आनन्द, सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमण्ड—2, झंझारपुर— 7463889843 2—श्री मनीष कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, बाढ़ अभियंत्रण मण्डल—2, झंझारपुर—7488679467. 3—स0अ0नि0 रामाशंकर राम (झंझारपुर थाना)9431616267	590
30	5230	पी0 एल0 डिगरी कॉलेज, झंझारपुर।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री सुनील कुमार पंडित, कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल—1, झंझारपुर— 7091629557. 2— पु0अ0नि0 प्रहलाद शर्मा(भैरवस्थान थाना)9771509385	506
31	5231	पी0 एल0 इन्टर महिला डिगरी कॉलेज, झंझारपुर।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री राजेश कुमार, कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल—2, झंझारपुर—9931236890. 2—पु0अ0नि0 हिमांशु कुमार (भैरवस्थान थाना)8873033889	382
32	5232	जीवछ यू0एम0एस0 सिमरा, झंझारपुर।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री रंजीत कुमार, कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल—1, झंझारपुर— 8809895746. 2—स0अ0नि0 सत्यजय सिंह (अंधराठाढी थाना)9472851070	463
33	5233	एस0के0वाई0 +2 उच्च विद्यालय, बरही, फुलपरास	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री जयप्रकाश मंडल, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, फुलपरास— 8210516201 2—श्री सुशील कुमार लाल, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, फुलपरास—8409346416. 3—श्री पंकज कुमार चौधरी, तकनीकी सहायक, फुलपरास—9852500029. 4—पु0अ0नि0 संजिव कुमार राय(फुलपरास थाना)9110992274	1206
34	5234	एस0पी0एल0सी0एम0आर0 के0 कॉलेज, किसनीपट्टी, फुलपरास।	1—4 महिला	5 चौकीदार / दफादार	1—मो0 शौकत अली, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, फुलपरास—7488740720 2—श्री शुड्डु कुमार, तकनीकी सहायक, प्रखण्ड फुलपरास—9431016196 3— स0अ0नि0 दिनेश कुमार सिंह(घोघरडीहा थाना)9470486660	633

35	5235	बी0डी0एस0 उच्च विद्यालय, सिशवार, कालापट्टी, फुलपरास।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री सतीश चन्द्र झा, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, फुलपरास– 9709520637. 2–श्री दीपक कुमार, आवास पर्यवेक्षक प्रखण्ड– फुलपरास– 6203652482. 3–पु0अ0नि0 नितीश कुमार–1 (लौकही थाना)8298350565	520
36	5236	मध्य विद्यालय, फुलपरास।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री निवास कुमार सिंह, राजस्व अधिकारी, अंचल–फुलपरास– 8092092061. 2–पु0अ0नि0 धीरज कुमार (अंधरामठ थाना)9576196616	409
37	5237	संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल, फुलपरास।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री सूरज कुमार, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, फुलपरास– 8210270835 2–श्रीमती क्रांति कुमारी, तकनीकी सहायक, प्रखण्ड– फुलपरास– 8229038579. 3–पु0अ0नि0 राजकिशोर पंडित (लौकहा थाना)9709880405	878
38	5238	एस0एस0एस0 +2 उच्च विद्यालय, नरहिया, फुलपरास।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री चन्दन कुमार, प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, घोघरडीहा– 9431005422 2–पु0अ0नि0 रौशन कुमार–1 (खुटौना थाना)9122187800	384
39	5239	मध्य विद्यालय, गोरगामा, फुलपरास।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री अनिल कुमार, प्रखण्ड क0 पदाधिकारी, घोघरडीहा– 8539886195 2–पु0अ0नि0 सुरेश मंडल (अंधरामठ थाना)9508176687	294
40	5240	आर0 के0 कॉलेज, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–मो0 जावेद अख्तर, राज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर कार्यालय, मधुबनी–9939493886. 2–श्री अमरनाथ कुमार भारती, क0 अभि0 पथ प्रमण्डल, मधुबनी–8757869882 3–पु0अ0नि0 किशोर राम (बासोपट्टी थाना) 9801665222	1115
41	5241	एम0टी0टी0 कॉलेज, बसुआरा, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री विश्वपाल, कनीय अभियंता, पथ अवर प्रमण्डल सं0–1, मधुबनी– 9234252611 2–स0अ0नि0 शिवशंकर राय (बासोपट्टी थाना) 9097407516	520

42	5242	अमीर हसन सकूर अहमद, कॉलेज, हवाई अड्डा, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री विश्वजीत कुमार, म0प्र0पदा0, जिला मत्स्य कार्यालय, मधुबनी–8521514134. 2–स0अ0नि0 राजेश चौधरी (अरेर थाना)8434714408	306
43	5243	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भच्छी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री मुन्ना रजक, म0प्र0पदा0, जिला मत्स्य कार्यालय, मधुबनी–7079 331087. 2–स0अ0नि0 हरेन्द्र कुमार राय (विस्फी थाना)9931715682	190
44	5244	दिल्ली पब्लिक स्कूल, भौआड़ा, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री दिनेश कुमार, सहायक, निदेशक, रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मधुबनी–8544588393. 2–स0अ0नि0 संतोष कुमार पाल (मधवापुर थाना)9576531600	361
45	5245	आर0पी0डी0 +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर, मधुबनीं	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–दिलिप कुमार, सहायक निदेशक, (कृषि अभि0) जिला कृषि कार्यालय, मधुबनी–8544588336. 2–स0अ0नि0 ध्यानि पासवान (हरलाखी थाना)7484875523	426
46	5246	मध्य विद्यालय, जितवारपुर, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री मो0 सरफराज अहमद खाँ श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, राजनगर– 8709557543. 2–स0अ0नि0 पूर्णप्रताप सिंह (पतौना ओ0पी0)6204635058	319
47	5247	मनमोहन उच्च विद्यालय, रामपट्टी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री तुलसी प्रसाद, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल सं0–2, मधुबनी– 9431518396. 2–श्री बाँके बिहारी मंडल, क0अभि0 पथ अवर प्रमंडल सं0–01, मधुबनी–7091840984. 3–स0अ0नि0 मकेश्वर प्रसाद (भैरवस्थान थाना)7667733196	665
48	5248	सुशिला सैक्षणिक संस्थान, राँटी, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री राजाराम सिंह, प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी, राजनगर प्रखण्ड– 9931438994. 2–स0अ0नि0 मुरलि पासवान (मधेपुर थाना)8051496166	399
49	5249	मदरसा इस्लामिया राधोनगर, भौआड़ा, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार/दफादार	1–श्री इसरार अहमद, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, राजनगर प्रखण्ड– 7903120671. 2–पु0अ0नि0 महादेव साहु (मधेपुर थाना)8292336412	478

50	5250	+2 उच्च विद्यालय, रहिका, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री मोजाहिदुल इस्लाम, तकनीकी सहायक, राजनगर प्रखण्ड– 8340236558.	536
					2–स0अ0नि0 मो0 मुख्तार अहमद (औंसी ओ0पी0) 9931183310	
51	5251	मध्य विद्यालय, शम्भुआर, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री ललन चौधरी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजनगर– 9199318430.	285
					2–स0अ0नि0 श्रवण कुमार यादव (मधेपुर थाना)9771534055	
52	5252	एम0वाई0एन0 +2 उच्च विद्यालय, शम्भुआर, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री मनोज कुमार राय, प्रखण्ड समन्वयक राजनगर प्रखण्ड– 8873968889.	304
					2–पु0अ0नि0 वशिष्ट कापर (भेजा थाना)8298239472	
53	5253	मध्य विद्यालय, भिट्ठी, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री संतोष कुमार, प्र0कृ0 समन्वयक, राजनगर प्रखण्ड– 9771563746	302
					2–पु0अ0नि0 मो0 शमिम (लखनौर थाना)7808703484	
54	5254	विवेकानन्द मिशन विद्यापीठ, पण्डौल रोड, माधोपुर, पण्डौल, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री विजय प्रसाद सिंह, खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मधुबनी– 9162416700	396
					2–स0अ0नि0 मो0 अबुल कलाम ऐजाज (हरलाखी थाना) 8709575004	
55	5255	+2 उच्च विद्यालय, पण्डौल।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री अरविन्द्र कुमार, क0 अभि0, प0 को0 न0 प्र0, मधुबनी– 8409717772.	529
					2–स0अ0नि0 लाल बाबू पासवान (रूद्रपुर थाना)9852093467	
56	5256	आर0 एन0 कॉलेज, पण्डौल।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1– श्री भारत भूषण गुप्ता, प्र0पं0राज पदाधिकारी, खजौली– 6201964244.	319
					2–स0अ0नि0 सत्येन्द्र कुमार सिंह (आर0एस0ओ0पी0) 9801480999	
57	5257	परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, ब्रह्मोत्रा, मधुबनी।	1–4	5 चौकीदार / दफादार	1–श्री अजित कुमार भगत, प्र0 सहकारिता पदाधिकारी, खजौली– 9123428532	465
					2–स0अ0नि0 उमेश राय (अररिया संग्राम)9430604644	

58	5258	बी0 एम0 कॉलेज, रहिका।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री अश्विनी कुमार झा, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, खजौली— 9934092349. 2—स0अ0नि0 शम्भु कुमार झा (घोघरडिहा थाना)9576469175	529
59	5259	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहुआ टोल, मधुबनी।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री सुमन कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखण्ड— पण्डौल— 8340294110 2—स0अ0नि0 विनोद यादव (नरहियॉ ओ0पी0)7781915678	272
60	5260	रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल जीवछ चौक, सपता, मधुबनी।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री मिहिर कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पण्डौल—6201338715. 2—श्री प्रवीण कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक, मनरेगा पण्डौल— 9135194617. 3—स0अ0नि0 रामाशंकर उपाध्याय (अंधरामठ थाना) 9431674003	751
61	5261	पोल स्टार मधुबनी।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री अशोक कुमार सिंह, प्र0 कृषि पदाधिकारी, पण्डौल— 9431630810. 2—श्री अनवारूल हक, तकनीकी सहायक, प्रखण्ड— पण्डौल— 9834930224. 3—पु0अ0नि0 राजकिशोर प्रसाद (खुटौना थाना)8406987098	881
62	5262	सेन्ट जेवियर्स उच्च विद्यालय, रॉटी, मधुबनी।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री जितेन्द्र कुमार सहकारिता प्र0 पदाधिकारी, प्रखण्ड— पण्डौल— 8271262871. 2—स0अ0नि0 दयाराम यादव (खुटौना थाना)8271802485	225
63	5263	टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय, कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनी	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री अभिनव कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पण्डौल— 8677803048 2—श्री सुशील प्रसाद, पंचायत तकनीकी सहायक, मनरेगा, पण्डौल— 9304299963 3—स0अ0नि0 उमेश प्रसाद सिंह (बासोपट्टी थाना)8271585221	648
64	5264	कान्हर कपिलदेव, सरस्वती विद्या मन्दिर कैटोला, मधुबनी।	1—4	5 चौकीदार / दफादार	1—श्री सुनील कुमार सिंह, कनीय अभि0, मनरेगा, पण्डौल — 9199731016. 2—स0अ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह (बाबूबरही थाना)9771358976	337

20/1/22
पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी।

20/1/22
जिला दंडाधिकारी,
मधुबनी।

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 के अवसर पर गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम/सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र एवं सम्बद्ध बैंक का नाम, जहाँ प्रश्न पत्र रखा गया है, से संबंधित विवरणी ।

क्र0	परीक्षा केन्द्र का नाम	सम्बद्ध बैंक का नाम, जहाँ प्रश्न पत्र रखा गया है	गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम/सशस्त्र की क्षमता	बल की क्षमता (सशस्त्र)
1	2	3	4	5
1	1–शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 2–एस0एन0एस0डी0एन0जी0 वाट्सन +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार ब्रांच,महिला कॉलेज रोड, मधुबनी	1–श्री राकेश कुमार सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कलुआही (9431818219) 2–पु0अ0नि0 सुनील कुमार–1 (नगर थाना)9006180053	1–4
2	1–जे0एम0डी0पी0एल0 महिला कॉलेज, मधुबनी 2–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, थाना चौक, मधुबनी 3–डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार ब्रांच,महिला कॉलेज रोड, मधुबनी	1–श्री सत्येन्द्र कुमार यादव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहिका (9431818214) 2–पु0अ0नि0 प्रेमराज पुरूषोत्तम देव (नगर थाना)7667790981	1–4
3	1–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी 2–मदरसा इस्लामिया, राघोनगर भौआड़ा 3–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भच्छी	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार ब्रांच,महिला कॉलेज रोड, मधुबनी	1–श्रीमती निवेदिता, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त जिला मुख्यालय। (8986932998) 2–स0अ0नि0 निरंजन कुमार सिंह (नगर थाना)7488870575	1–4
4	1–दिल्ली पब्लिक स्कूल, भौआड़ा, मधुबनी। 2–क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 3–मैक्सवेल पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार ब्रांच,महिला कॉलेज रोड, मधुबनी	1–श्री पवन कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी (7070106155) 2–परि0पु0अ0नि0 विपीन कुमार (पंडौल थाना)6205665522	1–4
5	1–एम0टी0टी0 कॉलेज, मधुबनी। 2–एम0टी0टी0 कॉलेज, बसुआरा, मधुबनी। 3–अमीर हसन शकुर अहमद कॉलेज, हवाई अड्डा, मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, बाजार ब्रांच,महिला कॉलेज रोड, मधुबनी	1–श्रीमती प्रभा कुमारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही (9431818216) 2– स0अ0नि0 अरूण कुमार–1 (पंडौल थाना)9122072788	1–4
6	1–जे0एन0 कॉलेज, मधुबनी 2–कैम्पस पब्लिक स्कूल, लहेरियागंज 3–आर0पी0डी0 +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर 4–मध्य विद्यालय, जितवारपुर	भारतीय स्टेट बैंक, **ए0डी0बी0**, मधुबनी	1–श्री मनीष कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खजौली। (9431818218) 2–पु0अ0नि0 सुरेन्द्र यादव (सकरी थाना)9431870146	1–4
7	1–सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रॉटी, मधुबनी। 2–सेन्ट जेवियर्स उच्च विद्यालय, रॉटी, मधुबनी 3– मनमोहन उच्च विद्यालय, रामपट्टी	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मधुबनी	1–श्री अनुराग कुमार, सहायक निदेशक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण, कार्यालय, मधुबनी। (7488883609) 2–पु0अ0नि0 महेश प्रसाद यादव (राजनगर थाना)9430411129	1–4

8	1–आर0 के0 कॉलेज, मधुबनी 2–बी0एम0कॉलेज, रहिका 3–पोल स्टार, मधुबनी 4–रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल, जीवछ चौक, सप्ता	भारतीय स्टेट बैंक, **रहिका**	1–श्री अश्विनी कुमार, श्रम अधीक्षक, मधुबनी। (8873337277) 2–पु0अ0नि0 कन्दन बास्की (रहिका थाना)6205952561	1–4
9	1– +2 उच्च विद्यालय, रहिका, मधुबनी। 2– टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय, कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनी।	भारतीय स्टेट बैंक, **रहिका**	1–श्री रसिक लाल टुड्डू, अंचल अधिकारी, कलुआही (8544412655) 2–पु0अ0नि0 विनय शर्मा (रहिका थाना)8298528208	
10	1–जी0एम0एस0एस0 +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 2– क्रिएटिभ पब्लिक स्कूल बाबू साहब चौक, मधुबनी।	भारतीय स्टेट बैंक, **ए0डी0बी0**, मधुबनी	1– श्री मनीष कुमार, अंचल अधिकारी, खजौली– 8544412656. 2– पु0अ0नि0 सुनील कुमार (राजनगर थाना)9798816523	1–4
11	1–एम0वाई0एन0 +2 उच्च विद्यालय, शंम्भूआर 2–मध्य विद्यालय, शंम्भूआर, मधुबनी। 3–कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर, कैटोला, मधुबनी 4–मध्य विद्यालय, भिट्ठी, मधुबनी। 5–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहुआ टोल, मधुबनी	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पण्डौल	1– श्री नन्दन कुमार, अंचल अधिकारी, पण्डौल– 8544412657. 2– पु0अ0नि0 गोरख राम (कलुआही थाना)9934903799	1–4
12	1–विवेकानन्द मिशन विद्यापीठ, पण्डौल रोड, माधोपुर पण्डौल, मधुबनी 2– +2 उच्च विद्यालय, पण्डौल 3–आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल 4–परियोजना बालिका +2 उ0वि0, ब्रहमोत्तरा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पण्डौल	1–डा0 अभिजीत चौधरी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डौल (9431818213) 2–पु0अ0नि0 रामप्रवेश प्रसाद –2 (पंडौल थाना)9798172592	1–4
13	1–श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी 2–परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी, 3–डॉ0 एन0सी0 कॉलेज, बेनीपट्टी 4–मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी	पंजाब नेशनल बैंक, बेनीपट्टी	1–श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिस्फी (9431818215) 2–पु0अ0नि0 सुभाष कुमार सिंह (विस्फी थाना)7654835695	1–4
14	1–ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, बेनीपट्टी 2–एस0सी0 महिला कॉलेज, बेनीपट्टी	पंजाब नेशनल बैंक, बेनीपट्टी	1–डा0 रवि रंजन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी (9431818560) 2–पु0अ0नि0 महेश सिंह (विस्फी थाना)9934161949	1–4
15	1– +2 जे0आर0जी0 उच्च विद्यालय, जयनगर 2– माउंट कार्मेल इंगलिश उच्च विद्यालय, पिठवाटोल, जयनगर, मधुबनी 3– डॉन बास्को, इंगलिश स्कूल, जयनगर	भारतीय स्टेट बैंक, जयनगर	1–श्री सुधीर कुमार, अंचल अधिकारी, जयनगर (8544412648) 2–पु0अ0नि0 राज कुमार राय (जयनगर थाना)9546211535	1–4
16	1– +2 उच्च विद्यालय, जयनगर 2–मध्य विद्यालय, दुल्लीपट्टी, जयनगर 3–सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जयनगर	भारतीय स्टेट बैंक, जयनगर	1–श्री अखिलेश्वर कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लदनियॉ (9431818222) 2–पु0अ0नि0 सर्वेश कुमार झा (जयनगर थाना)9507767732	1–4
17	1–एल0एन0जे0 कॉलेज, झंझारपुर 2–एम0पी0टी0 +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 3–पी0एल0के0 +2 बालिका उच्च विद्यालय, झंझारपुर 4–पी0एल0इन्टर महिला कॉलेज, झंझारपुर।	भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर	1–श्री बिनोद आनन्द, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखनौर (9431818565) 2–पु0अ0नि0 बाल्मिकी शर्मा (लखनौर थाना)7319676062	1–4

18	1–पी0एल0 डिग्री कॉलेज, झंझारपुर 2–केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 3–जीबछ उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिमरा झंझारपुर, मधुबनी	भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर	1–श्री कृष्णा कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर (9431818220) 2–पु0अ0नि0 अरविन्द कुमार–4 (झंझारपुर थाना)8579978405	1–4
19	1–एस0के0वाई0 +2 उच्च विद्यालय, बरही, फुलपरास 2 बी0डी0एरा0 उच्च विद्यालय, सिशवार, कालापट्टी 3–संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल, फुलपरास 4–मध्य विद्यालय, गोरगामा, फुलपरास।	इलाहाबाद बैंक, फुलपरास	1–श्री शुशील कुमार दास, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुलपरास (9431818226) 2–रा0अ0नि0 शशिभूषण सिंह (फुलपरास थाना)9471924634	1–4
20	1–एस0पी0एल0सी0एम0आर0के0 कॉलेज, किसनीपट्टी 2–मध्य विद्यालय, फुलपरास 3–एस0एस0एस0 उच्च विद्यालय, नरहिया, फुलपरास।	इलाहाबाद बैंक, फुलपरास	1–श्री सम्राट जीत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, (9431818221) 2–पु0अ0नि0 महेश यादव–2 (घोघरडिहा थाना) 9097332373	1–4

नोटः– 1–सभी गश्ती दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रत्येक दिन **7:30 बजे पूर्वाह्न** में संबंधित बैंक पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने समक्ष प्रश्न पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक से निकलवाकर केन्द्राधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करा देंगे एवं सुरक्षा बल की अभिरक्षा में संबंधित परीक्षा केन्द्र पर पहुँचायेंगे।

2–संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी उपरोक्त पदाधिकारियों में से जिन्हें अपना वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें वाहन की व्यवस्था ईंधन सहित अपने स्तर से करेंगे।

3–आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजेंगे ।

10/1/22
पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी ।

10/1/22
जिला दंडाधिकारी,
मधुबनी ।

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा–2022 के अवसर पर जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम/सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरणी ।

क्र0	परीक्षा केन्द्र का नाम	जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम /सशस्त्र की क्षमता	बल की क्षमता (सशस्त्र)
1	2	3	4
1	1–शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 2–एस0एन0एस0डी0एन0जी0 वाट्सन +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 3–जे0एम0डी0पी0एल0 महिला कॉलेज, मधुबनी 4–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, थाना चौक, मधुबनी 5–डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी 6–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी	1– श्री सत्यनारायण प्रसाद सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी– 8210618498. 2–पु0अ0नि0 प्रकाश चन्द्र राजू (नगर थाना)7693862846	1–4
2	1–मदरसा इस्लामिया, राघोनगर भौआड़ा 2–उत्कमित मध्य विद्यालय, भच्छी 3–दिल्ली पब्लिक स्कूल, भौआड़ा 4–क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 5–मैक्सवेल पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 6–एम0टी0टी0 कॉलेज, मधुबनी 7–एम0टी0टी0 कॉलेज, बसुआरा 8–अमीर हसन शकुर अहमद कॉलेज, हवाई अड्डा, मधुबनी	1–श्री शिवनन्दन प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधुबनी (8294656527) 2–पु0अ0नि0 उग्रसेन पासवान (खजौली थाना)9199171475	1–4
3	1–जे0एन0 कॉलेज, मधुबनी 2–कैम्पस पब्लिक स्कूल, लहेरियागंज 3–आर0पी0डी0 +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर 4–मध्य विद्यालय, जितवारपुर 5–क्रीएटिव पब्लिक स्कूल, बाबूसाहब चौक, मधुबनी 6–सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रॉटी 7–सेन्ट जेवियर्स उच्च विद्यालय, रॉटी, मधुबनी 8– मनमोहन उच्च विद्यालय, रामपट्टी	1– श्री बालेन्दु नारायण पाण्डेय, परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता, मधुबनी। (9794118292) 2–पु0अ0नि0 आदित्यनाथ सिंह (राजनगर थाना)9709525688	1–4
4	1–आर0 के0 कॉलेज, मधुबनी 2–बी0एम0कॉलेज, रहिका 3–पोल स्टार, मधुबनी 4–रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल, जीवछ चौक, सप्ता 5–जी0एम0एस0एस0 +2 स्कूल, मधुबनी 6– +2 उच्च विद्यालय, रहिका, मधुबनी। 7–टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय, कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनी।	1– श्री शकील अहमद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मधुबनी– 9572948914 2–पु0अ0नि0 अरूण कुमार सिंह–3 (खजौली थाना)9771070511	1–4
5	1–एम0वाई0एन0 +2 उच्च विद्यालय, शंम्भूआर 2–मध्य विद्यालय, शंम्भूआर 3–कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर, कैटोला, मधुबनी 4–मध्य विद्यालय, भिट्ठी 5–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहुआ टोल, मधुबनी 6–विवेकानन्द मिशन विद्यापीठ, पण्डौल रोड, माधोपुर पण्डौल, मधुबनी 7– +2 उच्च विद्यालय, पण्डौल 8–आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल 9–परियोजना बालिका +2 उ0वि0, ब्रहमोत्तरा	1–श्री संतोष कुमार गुप्ता, राज्य कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मधुबनी– 9771007331 2–पु0अ0नि0 मिथलेश सिंह (नगर थाना)9097993556	1–4

6	1–श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी 2–परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी, 3–डॉ0 एन0सी0 कॉलेज, बेनीपट्टी 4–मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी 5–ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, बेनीपट्टी 6–एस0सी0 महिला कॉलेज, बेनीपट्टी	1–मो0 आरिफ अहमद, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी को0न0प्र0, बेनीपट्टी (9430677500 / 7463889761) 2–पु0अ0नि0 वैद्यनाथ मंडल (बेनीपट्टी थाना)8862882001	1–4
7	1– +2 जे0आर0जी0 उच्च विद्यालय, जयनगर 2–माउंट कार्मेल इंगलिश उच्च विद्यालय, पिठवाटोल, जयनगर, मधुबनी 3– डॉन बास्को, इंगलिश स्कूल, जयनगर 4– +2 उच्च विद्यालय, जयनगर 5–मध्य विद्यालय, दुल्लीपट्टी, जयनगर 6–सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जयनगर	1–श्री अमित कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जयनगर (8802677027) 2–पु0अ0नि0 अंतु राम (जयनगर थाना)7654965947	
8	1–एल0एन0जे0 कॉलेज, झंझारपुर 2–एम0पी0टी0 +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 3–पी0एल0के0 +2 बालिका उच्च विद्यालय, झंझारपुर 4–पी0एल0 डिग्री कॉलेज, झंझारपुर 5–केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 6–जीबछ उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिमरा झंझारपुर, मधुबनी 7–पी0एल0 इन्टर महिला कॉलेज, झंझारपुर।	1–श्री अमित कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झंझारपुर (9472802486 / 7428416501) 2–पु0अ0नि0 राम कैलाश सहनी (अंधराठाढी थाना)7543999005	1–4
9	1–एस0के0वाई0 +2 उच्च विद्यालय, बरही, फुलपरास 2–बी0डी0एस0 उच्च विद्यालय, सिशवार, कालापट्टी 3–संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल, फुलपरास 4–मध्य विद्यालय, गोरगामा 5–एस0पी0एल0सी0एम0आर0के0 कॉलेज, किसनीपट्टी 6–मध्य विद्यालय, फुलपरास 7–एस0एस0एस0 उच्च विद्यालय, नरहिया	1–श्री लक्ष्मण प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, फुलपरास (8944106260) 2–पु0अ0नि0 चितरंजन चौधरी (लौकही थाना)9430614171	

1–सभी जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रत्येक परीक्षा दिवस को सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का निरन्तर निरीक्षण करते रहेंगे एवं संयुक्त आदेश में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2–संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी उपरोक्त पदाधिकारियों में से जिन्हें अपना वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें वाहन की व्यवस्था ईंधन सहित अपने स्तर से करेंगे।

3–आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजेंगे ।

20/1/22
पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी ।

20/1/22
जिला दंडाधिकारी,
मधुबनी ।

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 के अवसर पर सुपर जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम/सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरणी ।

क्र0	परीक्षा केन्द्र का नाम	सुपर जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का नाम/पदनाम /सशस्त्र की क्षमता	बल की क्षमता (सशस्त्र)
1	2	3	4
1	1–शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 2–एस0एन0एरा0डी0एग0जी0 वाट्सन +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 3–जे0एम0डी0पी0एल0 महिला कॉलेज, मधुबनी 4–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, थाना चौक, मधुबनी 5–डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी 6–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी 7–मदरसा इस्लामिया, राघोनगर भौआड़ा 8–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भच्छी 9–एम0टी0टी0 कॉलेज, मधुबनी 10–एम0टी0टी0 कॉलेज, बसुआरा 11–अमीर हसन शकुर अहमद कॉलेज, हवाई अड्डा, मधुबनी 12–उच्च माध्यमिक विद्यालय, भौआड़ा, मधुबनी।	1–मो0 राजिक, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी (8544416330/9431075976) 2–पु0अ0नि0 अमृत लाल वमर्ण (नगर थाना)7070299181	1 4
2	1–जे0एन0 कॉलेज, मधुबनी 2–कैम्पस पब्लिक स्कूल, लहेरियागंज 3–आर0पी0डी0 +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर 4–मध्य विद्यालय, जितवारपुर 5–क्रीएटिव पब्लिक स्कूल, बाबूसाहब चौक, मधुबनी 6–सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रॉटी 7–सेन्ट जेवियर्स उच्च विद्यालय, रॉटी, मधुबनी 8– मनमोहन उच्च विद्यालय, रामपट्टी 9–आर0 के0 कॉलेज, मधुबनी 10–बी0एम0कॉलेज, रहिका 11–पोल स्टार, मधुबनी 12–रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल, जीवछ चौक, सप्ता 13–जी0एम0एस0एस0 +2 स्कूल, मधुबनी 14– +2 उच्च विद्यालय, रहिका, मधुबनी। 15– टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनीं	1–श्री राकेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, मधुबनी (9801759651) 2–पु0नि0 महेन्द्र कुमार सिंह (प्रभारी अभियोजन कोषांग मधुबनी)9546248185	1–4

3	1–दिल्ली पब्लिक स्कूल, भौआड़ा 2–क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 3–मैक्सवेल पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 4–एम0वाई0एन0 +2 उच्च विद्यालय, शंम्भूआर 5–मध्य विद्यालय, शंम्भूआर 6–कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर, कैटोला, मधुबनी 7–मध्य विद्यालय, भिट्ठी 8–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहुआ टोल, मधुबनी 9–विवेकानन्द मिशन विद्यापीठ, पण्डौल रोड, माधोपुर पण्डौल, मधुबनी 10– +2 उच्च विद्यालय, पण्डौल 11–आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल 12–परियोजना बालिका +2 उ0वि0, ब्रहमोत्तरा	1–श्री विनय कुमार, , जिला मतस्य पदाधिकारी, मधुबनी (9473191569) 2–पु0अ0नि0 शारदानन्द सिंह (पंडौल थाना)8292302088	1–4
4	1–श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी 2–परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी, 3–डॉ0 एन0सी0 कॉलेज, बेनीपट्टी 4–मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी 5–ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, बेनीपट्टी 6–एस0सी0 महिला कॉलेज, बेनीपट्टी	1–श्री शिव कुमार पंडित, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपट्टी (8544412346) 2–पु0अ0नि0 मृत्युनंजय कुमार (बेनीपट्टी थाना)9570672763	1–4
5	1– +2 जे0आर0जी0 उच्च विद्यालय, जयनगर 2– माउंट कार्मेल इंगलिश उच्च विद्यालय, पिठवाटोल, जयनगर, मधुबनी 3– डॉन बास्को, इंगलिश स्कूल, जयनगर 4– +2 उच्च विद्यालय, जयनगर 5–मध्य विद्यालय, दुल्लीपट्टी, जयनगर 6–सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जयनगर	1– श्री गोविन्द कुमार, अपर अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर। (9304053323) 2–पु0अ0नि0 विपिन कुमार सिंह (जयनगर थाना)8579026343	
6	1–एल0एन0जे0 कॉलेज, झंझारपुर 2–एम0पी0टी0 +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 3–पी0एल0के0 +2 बालिका उच्च विद्यालय, झंझारपुर 4–पी0एल0 डिग्री कॉलेज, झंझारपुर 5–केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 6–जीबछ उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिमरा झंझारपुर, मधुबनी 7–पी0एल0 इन्टर महिला कॉलेज, झंझारपुर,	1–श्री सुधीर कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर (8544412348) 2–पु0अ0नि0 राजीव कुमार (झंझारपुर थाना)6205898085	1–4

7–	1–एस0के0वाई0 +2 उच्च विद्यालय, बरही, फुलपरास 2–बी0डी0एस0 उच्च विद्यालय, सिशवार, कालापट्टी 3–संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल, फुलपरास 4–मध्य विद्यालय, गोरगामा 5–एस0पी0एल0सी0एम0आर0के0 कॉलेज, किसनीपट्टी 6–मध्य विद्यालय, फुलपरास 7–एस0एस0एस0 उच्च विद्यालय, नरहिया	1–श्री पुष्कर कुमार पुष्प, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा (8210309841) 2–पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह (फुलपरास थाना)9931993399	

नोटः–

1–सभी सुपर जोनल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रत्येक परीक्षा दिवस को सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का निरन्तर निरीक्षण करते रहेंगे एवं संयुक्त आदेश में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2–संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी उपरोक्त पदाधिकारियों में से जिन्हें अपना वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें वाहन की व्यवस्था ईधन सहित अपने स्तर से करेंगे।

3–आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजेंगे ।

20/1/22

पुलिस अधीक्षक,

मधुबनी ।

20/1/22

जिला दंडाधिकारी,

मधुबनी ।

इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा–2022 के अवसर पर उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी का नाम / पदनाम / सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरणी ।

क्र0	परीक्षा केन्द्र का नाम	उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी का नाम / पदनाम / सशस्त्र की क्षमता	बल की क्षमता (सशस्त्र)
1	2	3	4
1	1–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, थाना चौक, मधुबनी 2–डी0एन0वाई0 कॉलेज, गधुबनी 3–सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल, जलधारी चौक, मधुबनी 4–मदरसा इस्लामिया, राघोनगर भौआड़ा 5–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भच्छी 6–दिल्ली पब्लिक स्कूल, भौआड़ा 7–क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी 8–मैक्सवेल पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी	1–श्री विशाल राज, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, मधुबनी (9431818366)	1–4
	9–एम0टी0टी0 कॉलेज, मधुबनी 10–एम0टी0टी0 कॉलेज, बसुआरा 11–अमीर हसन शकुर अहमद कॉलेज, हवाई अड्डा, मधुबनी 12–एम0वाई0एन0 +2 उच्च विद्यालय, शंम्भूआर 13–मध्य विद्यालय, शंम्भूआर 14–कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर, कैटोला, मधुबनी 15–मध्य विद्यालय, भिट्ठी 16–उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सहुआ टोल, मधुबनी 17–विवेकानन्द मिशन विद्यापीठ, पण्डौल रोड, माधोपुर पण्डौल, मधुबनी 18– +2 उच्च विद्यालय, पण्डौल 19–आर0एन0 कॉलेज, पण्डौल 20–परियोजना बालिका +2 उ0वि0, ब्रहमोत्तरा	2–पु0नि0 राम किशोर शर्मा (प्रभारी हिन्दी शाखा)6203574068	

2	1–शिव गंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 2–एस0एन0एस0डी0एन0जी0 वाट्सन +2 उच्च विद्यालय, मधुबनी 3–जे0एम0डी0पी0एल0 महिला कॉलेज, मधुबनी 4–जे0एन0 कॉलेज, मधुबनी 5–कैम्पस पब्लिक स्कूल, लहेरियागंज 6–आर0पी0डी0 +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर 7–मध्य विद्यालग, जितवारपुर 8–क्रीएटिव पब्लिक स्कूल, बाबूसाहब चौक 9–सुशीला शैक्षणिक संस्थान, रॉटी 10–सेन्ट जेवियर्स उच्च विद्यालय, रॉटी, मधुबनी 11–मनमोहन उच्च विद्यालय, रामपट्टी 12–आर0 के0 कॉलेज, मधुबनी 13–बी0एम0कॉलेज, रहिका 14–पोल स्टार, मधुबनी 15–रिजनल सेकेन्ड्री स्कूल, जीवछ चौक, सप्ता 16–जी0एम0एस0एस0 +2 स्कूल, मधुबनी 17–+2 उच्च विद्यालय, रहिका, मधुबनीं 18– टेकनाथ +2 उच्च विद्यालय कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनी।	1–श्री सुशील कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी (9430557376) 2–पु0नि0 राज किशोर राम (खजौली अंचल)9931724328	1–4
3	1–श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी 2–परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी, 3–डॉ0 एन0सी0 कॉलेज, बेनीपट्टी 4–मध्य विद्यालय, बेनीपट्टी 5–ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, बेनीपट्टी 6–एस0सी0 महिला कॉलेज, बेनीपट्टी	1– श्री किशोर कुमार, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपट्टी (8544423608) 2–पु0नि0 राजेश कुमार (बेनीपट्टी थाना)9431063345	1–4
4	1– +2 जे0आर0जी0 उच्च विद्यालय, जयनगर 2– माउंट कार्मेल इंगलिश उच्च विद्यालय, पिठवाटोल, जयनगर, मधुबनी 3– डॉन बास्को, इंगलिश स्कूल, जयनगर 4– +2 उच्च विद्यालय, जयनगर 5–मध्य विद्यालय, दुल्लीपट्टी, जयनगर 6–सेन्ट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, जयनगर	1– श्री उपेन्द्र सिंह, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जयनगर (9111814441) 2–पु0नि0 रघुवंश कुमार भानू (जयनगर अंचल)7739927754	1–4
5	1–एल0एन0जे0 कॉलेज, झंझारपुर 2–एम0पी0टी0 +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 3–पी0एल0के0 +2 बालिका उच्च विद्यालय, झंझारपुर 4–पी0एल0 डिग्री कॉलेज, झंझारपुर 5–केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर 6–जीबछ उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिमरा झंझारपुर, मधुबनी 7–पी0 एल0 इन्टर महिला कॉलेज, झंझारपुर।	1–मो0 ज्यार्उर रहमान, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, झंझारपुर (8544423610) 2–पु0नि0 राजेश कुमार लकड़ा (प्रभारी क्यू0आर0टी0–1,2,3) 7295856739	

6	1–एस0के0वाई0 +2 उच्च विद्यालय, बरही, फुलपरास 2–बी0डी0एस0 उच्च विद्यालय, सिशवार, कालापट्टी 3–संस्कार भारती ग्लोबल पब्लिक स्कूल, फुलपरास 4–मध्य विद्यालय, गोरगामा 5–एस0पी0एल0सी0एम0आर0के0 कॉलेज, किसनीपट्टी 6–मध्य विद्यालय, फुलपरास 7–एस0एस0एस0 उच्च विद्यालय, नरहिया	1–श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास (8544412350) 2–पु0नि0 ललन प्रसाद चौधरी (फुलपरास अंचल) 9431623736	1–4

नोटः– 1–सभी उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रत्येक परीक्षा दिवस को सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का निरन्तर निरीक्षण करते रहेंगे एवं संयुक्त आदेश में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3–आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन हेतु जिला पदाधिकारी के पास प्रस्ताव भेजेंगे ।

20/1/22   20/1/22

पुलिस अधीक्षक,
मधुबनी ।

जिला दंडाधिकारी,
मधुबनी ।